कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक-प्रथम, अलवर (राजस्थान)

-=:: कार्यालय-आदेश ::=-

राजस्थान शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के अन्तर्गत संचालित -- नेशनल पब्लिक स्कूल, खैरथल ----- को ~~प्राथमिक~~/उच्च प्राथमिक स्तर की (अस्थाई मान्यता/अभिवृद्धि) दिनांक:- 1-7-99 ---- से दिनांक- 30-6-2002 -- तक निम्नलिखित शर्तों के आधार पर प्रदान की जाती है तथा निर्देश दिये जाते हैं कि निर्धारित अवधि तक सभी शर्तों की अनुपालना किया जाना नितान्त आवश्यक है अन्यथा आगामी [illegible] में आपकी मान्यता समाप्त करदी जावेगी जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व आ[illegible] स्वयं का होगा ।

1- संस्था एवं जिला शिक्षा अधिकारी संयुक्त कोष [illegible] प्राथमिक/उच्च प्रा[illegible] स्तर के लिए ----- रुपये जमा कराकर प्रति दिनांक:- ---- तक इस कार्यालय में प्रस्तुत करें ।

2- मान्यता शुल्क प्राथमिक/उच्च प्राथमिक स्तर हेतु क्रमश: 250/- एवं 500/- रुपये चालान से 202-सामान्य शिक्षा मद में जमा करा कर प्रति प्रस्तुत करें ।

3- भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र अपने क्षेत्र के सार्वजनिक निर्माण विभाग के या अन्य विभाग के अधिकारी से प्राप्त कर दिनांक: ---- --- तक इस कार्यालय में प्रस्तुत करें ।

4- प्रधानाध्यापक/अध्यापक/अध्यापिका प्रशिक्षित लगावें ।

5- अध्यापकों की नियुक्ति एवं विमुक्ति विभागीय प्रतिनिधि की उपस्थिति में की जावें ।

6- आपके विद्यालय का भवन/खेल मैदान अपर्याप्त है आगामी सत्र में निरीक्षण से पूर्व पर्याप्त भवन/खेल मैदान की व्यवस्था करें ।

7- अध्यापकों को राजकीय नियमानुसार वेतन भत्ते आदि का भुगतान किया जा[illegible] ।

8- बालोपयोगी पुस्तकों की संख्या में वृद्धि की जावे ।

9- संस्था का विधान एवं नियमावली पंजियक से प्रमाणित कर प्रति दिनांक ------- तक इस कार्यालय में प्रस्तुत करें ।

10- संस्था में कार्यरत स्टाफ की सेवापुस्तिका एवं व्यक्तिगत पंजिका आगामी निरीक्षण तक बनाली जावे ।

11- राष्ट्रीय कार्यक्रमों तथा परिवार कल्याण, अल्पबचत, वृक्षारोपण एवं [illegible] आदि में लक्ष्यों की शत प्रतिशत पूर्ति की जावे ।

12- कक्षा में छात्र संख्या में वृद्धि की जावे।

13- समस्त रिकार्ड का संधारण विधिवत व नियमित किया जावे ।

14- समस्त विभागीय नियमों की पालना अनिवार्य रूप से की जावे ।

15- ----------------------------

जिला शिक्षा अधिकारी,
प्रारम्भिक प्रथम, अलवर ।

क्रमांक:- शिविरा/प्रारं/प्रथम/अल/सामा-4/फा-मान्यता/99/278 दिनांक: 11/6/99

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ दी जाती है:-

1- प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका- नेशनल पब्लिक स्कूल, खैरथल

जिला शिक्षा अधिकारी,
प्रारम्भिक प्रथम, अलवर ।

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक–प्रथम, अलवर

आदेश

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर के पत्रांक शिविरा–माध्य/मा/अ–4/21313/वो–1/2008–09 दिनांक 05.06.09 के द्वारा अनुमोदन पश्चात् संलग्न सूची में वर्णित गैर सरकारी उप्रावि0 से माध्यमिक स्तर पर क्रमोन्नत करने हेतु सत्र 2009–10 के लिए निम्नलिखित शर्तों के तहत निर्देशानुसार स्वीकृति जारी की जाती है :–

1. राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 एवं नियम, 1993 की पालना करनी होगी।
2. संस्था मान्यता (संबद्धता) हेतु प्रपत्र "क" तीन प्रतियों में आदेश जारी होने की तिथि से दो माह की अवधि में भरकर आवश्यक रूप से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्था–अजमेर को एवं एक प्रति निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर को प्रेषित करेगी। संस्था द्वारा प्रपत्र–"क" भरकर निर्धारित समय में प्रस्तुत नहीं करने पर परीक्षार्थियों के परीक्षा से वंचित रहने तथा विलम्ब शुल्क के भुगतान के लिए संबधित संस्था ही उत्तरदायी होगी।
3. सत्र 2009–10 में कक्षा–9वी एवं 2010–11 में कक्षा–10वीं प्रारम्भ करनी होगी।
4. शहरी क्षेत्र में कक्षा–9वीं में छात्र संख्या 20 व छात्रा संख्या 15 से कम हो तो कक्षाऐं प्रारम्भ नहीं की जावें।
5. विद्यालय द्वारा भविष्य में कभी भी राज्य सरकार से अनुदान की मांग नहीं की जावेंगी।
6. विद्यालय का नाम/भवन/वर्ग/माध्यम परिवर्तन के पूर्व विभागीय स्वीकृति प्राप्त करनी होगी।
7. संस्था को प्रति वर्ष आवश्यक रूप से भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी से प्राप्त कर निम्न हस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करना होगा।
8. राज्य सरकार/विभाग द्वारा समय–समय पर प्रसारित आदेशों/नियमों/निर्देशो की पालना करनी होगी एवं वांछित सूचनाऐं/अभिलेख उपलब्ध करवाने होगें।
9. संस्था में प्रशिक्षित अध्यापकों की नियुक्ति की जावें।
10. संस्था का विभाग के अधिकारी द्वारा भौतिक एवं वित्तीय निरीक्षण किया जावेगा। यदि निरीक्षण के दौरान भौतिक एवं वित्तीय मापदण्डों की कमी पाई गई तो संस्था की मान्यता/क्रमौन्नति निरस्त कर दी जावेगी।

संलग्न सूची :–

जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक प्रथम अलवर

क्रमांकःजिशिअ/माप्र/अल/लेखा–1/फा–मान्यता/09–10/ 141 दिनांक: 25-06-09

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1 उप शासन सचिव शिक्षा (ग्रुप–5) विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान–सरकार, जयपुर।
2 निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान–अजमेर।
4. संबंधित संस्था (चिन्हित)
5. रक्षित पत्रावली।

जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक प्रथम अलवर

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक–प्रथम, अलवर

2009–10 में गैर सरकारी विद्यालयों को उच्च प्राथमिक से माध्यमिक स्तर पर (हिन्दी माध्यम में) क्रमौन्नत किये जाने वाले विद्यालयों की सूची :–

क्र.सं.	विद्यालयों के नाम
01	माँ सरस्वती आदर्श उ0प्रा0 विद्या मंदिर, श्यालूता (राजगढ़) अलवर
02	ए.जे. पब्लिक उ0प्रा0 स्कूल, गूंदपुर (रामगढ़) अलवर
03	नरूका उ0प्रा0वि0, कालवाड़ी (कठूमर) अलवर
04	सेण्ट जी.डी. पब्लिक उ0प्रा0 स्कूल, 60फुट रोड़, रामनगर कॉलोनी–अलवर
05	प्रगति उ0प्रा0वि0 बाई पास रोड़, खेडली (अलवर)
06	सरस्वती विद्या निकेतन उ0प्रा0वि0, माछरोली (किशनगढ़बास) अलवर
07	उज्ज्वल एकेडमी उ0प्रा0वि0, 4/68 विवेकानन्द नगर, अलवर
08	टार्जन पब्लिक मिडिल स्कूल, डोरोली (राजगढ़) अलवर
09	न्यू सिद्धार्थ पब्लिक स्कूल, मेहताबसिंह का नौहरा, अलवर
10	करणी पब्लिक उ0प्रा0 स्कूल, उछर (लक्ष्मणगढ़) अलवर
11	चिल्ड्रन एकेडमी (कान्वेन्ट स्कूल) वार्ड नं0–12, खेडली (अलवर)
12	बिचगांवा मिडिल स्कूल, बिचगांवा (लक्ष्मणगढ़) अलवर
13	श्री दुर्गे आदर्श विद्या मंदिर, हुल्याना (कठूमर) अलवर
14	बाल विकास उ0प्रा0वि0, चोरोटी इस्तमुरार, (रामगढ़) अलवर
15	श्री राम सागर विद्या मंदिर उ0प्रा0वि0, खेडली (कठूमर) अलवर
16	मॉडर्न पब्लिक उ0प्रा0वि0, खेडली रेल (अलवर)
17	संजय पब्लिक उ0प्रा0 स्कूल, नाटौज (कठूमर) अलवर
18	नूतन शिक्षण संस्थान उ0प्रा0वि0, बड़ौदाकान (कठूमर) अलवर
19	अमर पब्लिक उ0प्रा0 स्कूल, मुण्डपुरीकलां (गोविन्दगढ़) अलवर
20	बजरंग उ0प्रा0वि0, पिनान (रैणी) अलवर
21	भारतीय संस्कृत एवं संस्कृति उ0प्रा0वि0, डोरोली (कठूमर) अलवर
22	श्री फूली देवी आदर्श शिक्षण संस्थान उ0प्रा0वि0, ढ़िगावड़ा (राजगढ़) अलवर
23	आदर्श उ0प्रा0 बाल विद्या मंदिर, टहला (राजगढ़) अलवर
24	सुप्रिम रूरल उ0प्रा0वि0, गोविन्दगढ़ (लक्ष्मणगढ़) अलवर
25	अलवर विकास शिक्षा समिति उ0प्रा0वि0, पिनान (राजगढ़) अलवर
26	उ0प्रा0 टैगोर पब्लिक स्कूल, कोठीनारायणपुर (राजगढ़) अलवर
27	विद्या विहार उ0प्रा0वि0, ढ़िगावड़ा (राजगढ़) अलवर
28	नेशनल पब्लिक उ0प्रा0 स्कूल, खैरथल (अलवर)

जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक प्रथम अलवर

कक्षा – 9 वीं के साथ 10 वीं कक्षा आरम्भ करने की मान्यता प्रति

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक प्रथम, अलवर

कार्यालय–आदेश

निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर के पत्रांक–शिविरा–माध्य / मा / अ–4 / 21313 / वो–1 / 2008–09 दिनांक 05.06.09 एवं कार्यालय के आदेश क्रमांक जिशिअ / माप्र / अल / लेखा–1 / फा–मान्यता / 09–10 / 141 दिनांक 25.06.09 के द्वारा निम्न गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं को शैक्षिक सत्र 2009–10 से उच्च प्राथमिक से माध्यमिक स्तर पर क्रमोन्नत करने के आदेश जारी किये गये है।

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प. 9 (2) शिक्षा–5 / 05 जयपुर दिनाक 10–07–2009 के निर्देशानुसार इसी सत्र (2009–10) में 9 वीं कक्षा के साथ 10 वीं कक्षा प्रारम्भ करना चाहते है। उन्हें वर्तमान प्रावधान में शिथिलता प्रदान किये जाने एवं अतिरिक्त शुल्क एवं विलम्ब शुल्क सहित कुल राशि 25,000/–(पच्चीस हजार रूपये) जमा कराये जाने के कारण निम्न लिखित गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं को शैक्षिक सत्र 2009–10 से कक्षा 10 वीं आरम्भ करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र0सं0	नाम शिक्षण संस्था
01	अमर पब्लिक मा0 वि0 मुण्डपुरी कलां गोविन्दगढ़ (अलवर).
02	सुप्रिम रूरल मा0 वि0 गोविन्दगढ (लक्ष्मणगढ) अलवर।
03	ए0जे0 पब्लिक मा0 स्कूल, गूंदपुर, (रामगढ़) अलवर।
04	श्री फूलीदेवी आदर्श शिक्षण संस्थान मा0 वि0 ढिगावडा (राजगढ़) अलवर।
05	बजरंग मा0 वि0 पिनान (रैणी) अलवर।
06	[illegible] पब्लिक सैकण्डरी स्कूल, कोटीनारायणपुर (राजगढ) अलवर।
07	आदर्श माध्यमिक बाल शिक्षा मन्दिर टहला (राजगढ) अलवर।
08	नेशनल पब्लिक माध्यमिक स्कूल, (खैरथल) अलवर।
09	करणी पब्लिक माध्यमिक स्कूल, उछर (लक्ष्मणगढ़) अलवर।
10	नूतन शिक्षण संस्थान मा0 वि0 बडौदाकान (कठूमर) अलवर।
11	बाल विकास मा0 वि0 चोरोटी इस्तमुरार (रामगढ़) अलवर।
12	चिल्ड्रन एकेडमी (कॉन्वेन्ट) माध्यमिक स्कूल,, वार्ड न0 12 खेडली (अलवर)
13	विद्या विहार मा0 वि0 ढिगावडा (राजगढ़) अलवर।
14	सरस्वती विद्या निकेतन मा0 वि0 माछरोली (किशनगढ बास) अलवर।

जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक प्रथम, अलवर

क्रमांक:–जिशिअ / माप्र / अल / लेखा–1 / फा–मान्यता / 09–10 / 228 दिनांक:– 31/7/09

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1 शासन शिक्षा सचिव, शासन सचिवालय, जयपुर।
2 निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
3 उप शासन सचिव शिक्षा, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा, ग्रुप–5, शासन सचिवालय, जयपुर।
4 सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर।
5 सम्बन्धित संस्था (चिन्हित)
6 कार्यालय प्रति।

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक प्रथम, अलवर

कार्यालय–आदेश

निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के आदेश क्रमांक शिविरा–माध्य/मा/अ–4/21313/वो–2/2010–11 दिनांक 14.05.2010 के द्वारा अनुमोदन पश्चात संलग्न सूची में वर्णित गैर सरकारी उच्च माध्यमिक स्तर क्रमोन्नत हेतु सत्र 2010–11 के लिए निम्नलिखित शर्तो के तहत निर्देशानुसार स्वीकृति जारी की जाती है ।

1. सत्र 2010–11 में कक्षा 11 एवं सत्र 2011–12 में कक्षा 12 प्रारंभ करनी होगी ।
2. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के मान्यतां सम्बन्धित विनियमों की पालना करनी होगी एवं बोर्ड को मान्यता आवेदन पत्र (प्रपत्र–क) मय शुल्क उपलब्ध करवाना होगा ।
3. विद्यालय द्वारा भविष्य में कभी भी राज्य सरकार से अनुदान की मांग नहीं की जावेगी ।
4. विद्यालय का नाम/भवन/वर्ग/माध्यम परिवर्तन के पूर्व विभागीय स्वीकृति प्राप्त करनी होगी ।
5. राज्य सरकार/विभाग द्वारा समय–समय पर प्रसारित आदेशों/नियमों/निर्देशों की पालना करनी होगी एवं वांछित सूचनाएं/अभिलेख उपलब्ध करवाने होगें ।
6. राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम 1989 एवं नियम 1993 की पालना करनी होगी ।

संलग्नः– सूची

जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक प्रथम, अलवर

क्रमांकः–जिशिअ/माप्र/अल/लेखा–1/फा–मान्यता/2010–11/732 दिनांक 15/5/10

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. उप शासन सचिव, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा (ग्रुप–5) विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर ।
2. निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर ।
3. सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर ।
4. शिक्षा उप निदेशक माध्यमिक शिक्षा जयपुर संभाग, जयपुर ।
5. संबंधित संस्था चिन्हित नेशनल पब्लिक मा० स्कूल
6. संबंधित संस्था पत्रावली
7. रक्षित पत्रावली ।

जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक प्रथम, अलवर

कक्षा 11वीं के साथ 12वीं प्रारम्भ करने की मान्यता प्रति

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक प्रथम, अलवर

कार्यालय–आदेश

निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के आदेश क्रमांक शिविरा–माध्य / माध्यमिक / अ–4 / 21313 / मूल / 10–11 दिनांक 22.07.10 एवं इस कार्यालय के आदेश क्रमांक जिशिअ / माप्र / अल / लेखा–1 / मान्यता / 2010–11 / 711–745 दिनांक 15.05.2010 एवं 833–847 दिनांक 01.06.2010 के द्वारा निम्न गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं को शैक्षिक सत्र 2010–11 में माध्यमिक से उच्च माध्यमिक स्तर पर क्रमोन्नत करने के आदेश जारी किये गये थे ।

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.9(2)शिक्षा–5 / 05 दिनांक 21.07.2010 के निर्देशानुसार इसी सत्र 2010–11 में ग्यारहवीं कक्षा के साथ बारहवीं कक्षा प्रारंभ करना चाहते है । उन्हें वर्तमान प्रावधान में शिथिलता प्रदान किये जाने पर निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त 15,000 / – (अंकेन पन्द्रह हजार रूपये मात्र) अतिरिक्त शुल्क जमा करवाने की शर्त पर निम्न गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं को इसी सत्र 2010–11 में कक्षा ग्यारहवीं के साथ बारहवीं प्रारंभ करने की एतद द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है:–

क्र.सं.	नाम विद्यालय
1	टैगोर पब्लिक उमावि खेडली
2	इण्डियन उमावि जयसिंहपुरा रैणी
3	स्टार पब्लिक उमावि कुण्डवाला कुआ,संजय नगर अलवर
4	तिवाडी आदर्श विद्यामंदिर उमावि प्रेमनगर मूँगस्का अलवर
5	नवज्योति उमावि सकट अलवर
6	गुरूकुल पब्लिक उमावि अलवर
7	आरती पब्लिक उच्च माध्यमिक विद्यालय सोनावा अलवर
8	बजरंग उमावि पिनान अलवर
9	जय दुर्गा उमावि राजगढ
10	विवेकानंद उमावि चिमरावलीगौड
11	सरस्वती बालिका उमावि रामनगर, अलवर
12	नेशनल पब्लिक उमावि खैरथल
13	सरस्वती उमावि स्कूल पिनान
14	जादम उमावि लंगडबास.

15 सरस्वती उमावि जातपुर रामगढ
16 राज0अकादमी उमावि अलवर
17 अरावली उमावि रामगढ
18 फाउण्डेशन उमावि नई बस्ती दिल्ली रोड अलवर
19 सर्वोदय विद्या आश्रम उमावि, राजगढ
20 नेहरू बाल मंदिर उमावि गोविन्दगढ
21 सागर उमावि भैंसडावत, गोविन्दगढ
22 करणी पब्लिक उमावि उछर, लक्ष्मणगढ
23 वसुन्धरा पब्लिक उमावि बडोदामेव
24 कृष्णा पब्लिक उमावि दातिया
25 टैरेसा आदर्श विद्या मंदिर उमावि सुरेर
26 अराधना पब्लिक उमावि राजगढ
27 ग्रामीण बाल विकास उमावि सालोली, रैणी
28 नेहरू शिक्षा प्रसार उमावि रामनगर,, कठूमर

Sd/-
जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक प्रथम, अलवर

क्रमांकः–जिशिअ / माप्र / अल / लेखा–1 / मान्यता / 2010–11 / 924-95 दिनांक 03-08-2010

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. उप शासन सचिव, शिक्षा ग्रुप–5 विभाग, राजस्थान जयपुर ।
2. निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर ।
3. सचिव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर ।
4. सम्बन्धित संस्था (चिन्हित) नेशनल पब्लिक स्कूल खेरथल
5. रक्षित पत्रावली

जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक प्रथम, अलवर

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक प्रथम, अलवर

सत्र 2010–11 में गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालय जिनको उच्च माध्यमिक स्तर पर क्रमोन्नत करने की स्वीकृति प्रदान की गई है, की सूची:–

क्र. सं.	नाम विद्यालय	माध्यम	संकाय	विषय	
				अनिवार्य	ऐच्छिक
1	माँ भवानी आदर्श विद्या मंदिर मा0वि0 मूंडिया तह0 रैणी जिला अलवर	हिन्दी	कला	हिन्दी अंग्रेजी	हिन्दी सा0, राज0विज्ञान, इतिहास, समाजशास्त्र, भूगोल, संस्कृत, चित्रकला, गृह विज्ञान, कम्प्यूटर
2	सरस्वती माध्यमिक विद्यालय, ग्रा0पो0 जातपुर तह0 रामगढ जिला अलवर	हिन्दी	कला	हिन्दी, अंग्रेजी	हिन्दी सा0, संस्कृत, राज0 विज्ञान, भूगोल, इतिहास, गृह विज्ञान, चित्रकला
3	स्टार पब्लिक माध्यमिक विद्यालय, अलवर रेल्वे स्टेशन के सामने संजय नगर, अलवर	हिन्दी	कला	हिन्दी, अंग्रेजी	हिन्दी सा0, संस्कृत, इतिहास, राज0 विज्ञान, भूगोल, अर्थशास्त्र, गृह विज्ञान, चित्रकला, लोकप्रशासन
			वाणिज्य	हिन्दी, अंग्रेजी	लेखाशास्त्र, व्यवसाय प्रबन्ध, आर्थिक एवं वित्तीय अध्ययन, टंकण (हिन्दी एवं अंग्रेजी), व्यावसायिक गणित एवं सांख्यिकी
4	विवेकानन्द माध्यमिक विद्यालय चिमरावली गौड, अलवर	हिन्दी	कला	हिन्दी, अंग्रेजी	संस्कृत, राज0 विज्ञान, भूगोल, चित्रकला, हिन्दी साहित्य, कम्प्यूटर, संगीत कला, गृह विज्ञान
5	तिवाडी आदर्श विद्या मंदिर माध्यमिक विद्यालय 34–35 प्रेम नगर, मूंगस्का, अलवर	हिन्दी	कला	हिन्दी, अंग्रेजी	हिन्दी सा0, संस्कृत, इतिहास, राज0 विज्ञान, भूगोल, अर्थशास्त्र, गृह विज्ञान, चित्रकला, लोकप्रशासन
			वाणिज्य	हिन्दी, अंग्रेजी	लेखाशास्त्र, व्यवसाय प्रबन्ध, आर्थिक एवं वित्तीय अध्ययन, टंकण (हिन्दी व अंग्रेजी) व्यवसायिक गणित एवं सांख्यिकी
6	आदर्श विद्या मंदिर रैणी जिला अलवर	हिन्दी	कला	हिन्दी, अंग्रेजी	चित्रकला, भूगोल, गृह विज्ञान, संस्कृत, इतिहास, राज0विज्ञान
7	ग्रामीण बाल विकास माध्यमिक विद्यालय ग्राम सालोली, तह0 रैणी, जिला अलवर	हिन्दी	कला	हिन्दी, अंग्रेजी	हिन्दी, संस्कृत, इतिहास, राज0 विज्ञान, भूगोल, चित्रकला
8	आरती पब्लिक स्कूल निचला सोनावा, गांधी नगर, अलवर	हिन्दी	कला	हिन्दी, अंग्रेजी	राज0 विज्ञान, चित्रकला, भूगोल, इतिहास, हिन्दी सा0, अंग्रेजी सा0, संस्कृत, कम्प्यूटर, गृह विज्ञान, अर्थशास्त्र
9	कृष्णा पब्लिक माध्यमिक विद्यालय ग्रा0पो0 दांतिया, तह0 कठूमर, जिला अलवर	हिन्दी	कला	हिन्दी, अंग्रेजी	हिन्दी सा0, चित्रकला, गृह विज्ञान, इतिहास, राज0 विज्ञान, संस्कृत, भूगोल
10	गुरुकुल पब्लिक माध्यमिक विद्यालय, प्लाट नं. 1 स्कीम नं. 3 अलवर	हिन्दी	विज्ञान	हिन्दी, अंग्रेजी	रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, गणित

जिला शिक्षा अधिकारी
मा० प्रथम, अलवर (राज०)

Created by Universal Document Converter

11	अरावली सैकण्डरी स्कूल सब्जी मंडी, रामगढ जिला–अलवर	हिन्दी	कला	हिन्दी, अंग्रेजी	राज0 विज्ञान, इतिहास, भूगोल, पंजाबी
12	मित्तल माध्यमिक विद्यालय बिच्छू की गली, बजाजा बाजार, अलवर	हिन्दी	वाणिज्य	हिन्दी, अंग्रेजी	लेखाशास्त्र, व्यवसायिक प्रबन्ध, टंकण, बैंकिग
13	बजरंग माध्यमिक विद्यालय, ग्रा0पो पिनान, तह0 राजगढ, जिला अलवर	हिन्दी	कला	हिन्दी, अंग्रेजी	हिन्दी, संस्कृत, राज0 विज्ञान, भूगोल, चित्रकला, इतिहास, गृह विज्ञान
			ललित कला	हिन्दी, अंग्रेजी	चित्रकला अनिवार्य, छापा रचना, व्यवसायिक कला, मूर्तिकला
14	चिल्ड्रन एकेडमी (कोन्वेट) माध्यमिक स्कूल खेरली, अलवर	हिन्दी	कला	हिन्दी, अंग्रेजी	राज0 विज्ञान, संस्कृत, भूगोल, गृह विज्ञान
			वाणिज्य	हिन्दी, अंग्रेजी	लेखाशास्त्र, व्यवसायिक प्रबन्ध, व्यवसायिक गणित एवं सांख्यिकी
25	सूरजभान पब्लिक माध्यमिक विद्यालय बासकृपालनगर	हिन्दी	कृषि विज्ञान	हिन्दी, अंग्रेजी	रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, शल्य विज्ञान, उद्यान विज्ञान, पशुपालन एवं दुग्ध विज्ञान
			वाणिज्य	हिन्दी, अंग्रेजी	लेखाशास्त्र, व्यसायिक प्रबन्ध, टंकण (हिन्दी व अंग्रेजी) आर्थिक एवं वित्तीय अध्ययन, व्यवसायिक गणित एवं सांख्यिकी, कम्प्यूटर
			कला	हिन्दी, अंग्रेजी	राज0 विज्ञान, संस्कृत, इतिहास, भूगोल, अंग्रेजी साहित्य, हिन्दी साहित्य, समाजशास्त्र
16	सर्वोदय विद्या आश्रम सैकण्डरी स्कूल पुलिस थाने के पास, राजगढ(अलवर)	हिन्दी	विज्ञान	हिन्दी, अंग्रेजी	भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, गणित
17	शिव पब्लिक मा0वि0 तिलवाड, राजगढ	हिन्दी	कला	हिन्दी, अंग्रेजी	अर्थशास्त्र, भूगोल, चित्रकला, राजनीति विज्ञान, गृह विज्ञान, इतिहास, हिन्दी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, कम्प्यूटर विज्ञान
18	नेशनल पब्लिक माध्यमिक स्कूल सिवाना रोड, खैरथल	हिन्दी	विज्ञान	हिन्दी, अंग्रेजी	भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, गणित
			वाणिज्य	हिन्दी, अंग्रेजी	लेखाशास्त्र, व्यवसाय प्रबन्ध, गणित, टंकण, कम्प्यूटर
19	सरस्वती मा0वि0 ग्रा0पो0 पिनान, तह0 राजगढ, जिला अलवर	हिन्दी	कला	हिन्दी, अंग्रेजी	हिन्दी सा0, संस्कृत, भूगोल, चित्रकला, इतिहास, राज0विज्ञान, कम्प्यूटर विज्ञान, गृह विज्ञान

जिला शिक्षा अधिकारी
मा० प्रथम, अलवर (राज०)

Created by Universal Document Converter

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर।

—: आदेशः—

राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प–8 (55) शिक्षा–5/04 जयपुर दिनांक 21/9/2005, 23/5/2007 एवं प–9 (24) शिक्षा–5/2007 पार्ट जयपुर दिनांक 13/06/2013 के अनुसरण में निम्नलिखित मान्यता प्राप्त गैर सरकारी शैक्षिक संस्थाओं के नाम के स्थान पर उनके सम्मुख अंकित संशोधित नवीन नाम की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है :—

क्र.सं.	जिला	विद्यालय का पूर्व नाम	विद्यालय का संशोधित नवीन नाम
1.	अलवर	नेशनल उमावि. वार्ड नं. 16 मुख्य पोस्ट ऑफिस वाली गली, खेरली अलवर	कुँजीलाल मेमोरियल उच्च माध्यमिक विद्यालय वार्ड नं. 16 मुख्य पोस्ट ऑफिस वाली गली, खेरली अलवर
2.	अलवर	सदगुरु इण्डियन मेमोरियल माध्यमिक विद्यालय कठूमर अलवर	महाशिव माध्यमिक विद्यालय कठूमर अलवर
3.	अलवर	वीर नेशनल माध्यमिक विद्यालय तरवाला किशनगढ़बास अलवर	राजदीप माध्यमिक विद्यालय तरवाला किशनगढ़बास अलवर
4.	अलवर	न्यू नेशनल पब्लिक सी.सै. स्कूल चिकानी अलवर।	एवरग्रीन पब्लिक सी.सै. स्कूल चिकानी अलवर।
5.	अलवर	नेशनल पब्लिक उमावि. खैरथल अलवर	इंजीनियर्स पॉइण्ट उमावि. खैरथल अलवर
6.	अलवर	इण्डियन पब्लिक सी.सै. स्कूल कठूमर रोड लक्ष्मणगढ़ अलवर	आइडियल पब्लिक सी.सै. स्कूल कठूमर रोड लक्ष्मणगढ़ अलवर
7.	अलवर	इण्डियन पब्लिक उमावि. गोला का बास, अलवर	अरावली विद्या विहार उमावि. गोला का बास, अलवर
8.	बॉसवाड़ा	बायपाल–जॅसन इण्टरनेशनल स्कूल मैन रोड नवांगॉव परतापुर बॉसवाड़ा	बायपाल–जॅसन सैकेण्डरी स्कूल मैन रोड नवांगॉव परतापुर बॉसवाड़ा
9.	बॉसवाड़ा	नोबल इण्टरनेशनल स्कूल भगोडा मोड़ आशापुरा मंदिर के सामने, परतापुर बॉसवाड़ा	नोबल सैकेण्डरी स्कूल भगोड़ा मोड आशापुरा मंदिर के सामने, परतापुर बॉसवाड़ा
10.	बीकानेर	इण्डियन मॉडल सैकेण्डरी स्कूल, अमरसिंहपुरा राजस्थान प्रेस के पीछे, बीकानेर।	आर.जी.डी.मॉडल स्कूल, अमरसिंहपुरा राजस्थान प्रेस के पीछे, बीकानेर।
11.	बीकानेर	मदर इण्डिया माध्यमिक शिक्षण संस्थान मोमासर बास श्रीडूँगरगढ़ बीकानेर	मदर के.डी. शिक्षण संस्थान मोमासर बास श्रीडूँगरगढ़ बीकानेर
12.	टोंक	भारतीय पब्लिक स्कूल नैणवा रोड़ नगर फोर्ट ,टोंक	शेखावाटी माध्यमिक विद्यालय नैणवा रोड़ नगर फोर्ट, टोंक

13.	टोंक	इण्टरनेशनल पब्लिक सैकेण्ड्री स्कूल टोंक	इन्नोवेशन पब्लिक सैकेण्डरी स्कूल टोंक

उक्त वर्णित संस्थाओं को राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 एवं नियम 1993 की तथा समय–समय पर जारी नियम/निर्देशों की पालना करनी होगी। नियमों की अवहेलना पायी जाने पर नियमानुसार स्वीकृतियॉं निरस्त करने का अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा।

उप निदेशक(माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर।

कमांक:–शिविरा–मा/मा/अ–3/मनावमा/मूल/2013 दिनांक:–13-9-13

प्रतिलिपि:–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. शासन उप सचिव शिक्षा (ग्रुप–5) विभाग राजस्थान सरकार जयपुर।
2. सचिव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर।
3. सिस्टम एनालिस्ट कार्यालय हाजा को प्रेषित कर निवेदन है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करवाने का कष्ट करें।
4. उप निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग,
5. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक ....को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. संबंधित संस्था प्रधान
7. रक्षित पत्रावली

उप निदेशक(माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर।

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड,राजस्थान,अजमेर

क्रमांक : मा.शि.बो./सम्बद्धता/6669 दिनांक 13/01/2014

कार्यालय–आदेश

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर के आदेश राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प.08(55)/शिक्षा –05/04 जयपुर, दिनांक 21/09/2005 एवं 23/05/2007 के क्रमांक : शिविरा–माध्य/मा/मा/ अ–3/भनावमा/मूल/2013, दिनांक 13.09.13 के आदेशानुसार क्रम सं.–5 पर अंकित विद्यालय **नेशनल पब्लिक उच्च माध्यमिक विद्यालय, खैरथल अलवर** का परिवर्तित नाम **इंजीनियर्स पॉइण्ट उच्च माध्यमिक विद्यालय, खैरथल अलवर** की स्वीकृति प्रदान की गई है।

अतः उक्त आदेश के अनुसार विद्यालय के नाम परिवर्तित **इंजीनियर्स पॉइण्ट उच्च माध्यमिक विद्यालय, खैरथल अलवर** की स्वीकृति बोर्ड रेकार्ड में दर्ज करने के आदेश दिये जाते है।

sd/-

सचिव

6670 – 6679/सम्बद्धता

प्रतिलिपि :– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
2. मुख्य नियन्त्रक (परीक्षा) माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर।
3. उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, जयपुर।
4. उप निदेशक (परीक्षा) माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर।
5. उप निदेशक (गोपनीय) माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर।
6. सहायक निदेशक (परीक्षा) माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर।
7. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) अलवर।
8. अनुभाग अधिकारी (सैल–02) माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर।
9. उप निदेशक (सूचना प्रौधोगिकी एवं संचार प्रकोष्ठ (आई.टी.एण्ड.सी.सैल) माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर।
10. प्रधानाचार्य, (H-1021094) इंजीनियर्स पॉइण्ट उच्च माध्यमिक विद्यालय, खैरथल अलवर –301404
11. रक्षित पत्रावली।

09/01/14

प्रभारी अधिकारी (सम्बद्धता)
एवं विशेषाधिकारी(परीक्षा)

कृपया पत्र व्यवहार सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर 305001 के नाम सम्बोधित कीजिए।
0145–2623949 (उप0 हॉल), 2623776 (उ.मा. अनुभाग),2623646 (माध्य अनुभाग), 2421897 उपनिदेशक (गोप.)
PBX Tel. : 0145- 2632866, 2632867, 2632868, 2632869, 2632870, 2632871, 2632872,2632873
E-mail : boser@sancharnet.in Website - www.rajeduboard.nic.in
Fax : 0145-2426994 Gram : rajsecboard

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक प्रथम अलवर(राज0)

—: कार्यालय आदेशः—

राज्य सरकार का पत्र कमांक प0 9(2) शिक्षा–5/2010पार्ट जयपुर दिनांक 05.02.2014 की पालना में श्रीमान् निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान बीकानेर के आदेश कमांक–शिविरा–मा/माध्य/अ–2/21313/2014–15 दिनांक 29.07.2014 के द्वारा अनुमोदन पश्चात सलंग्न सूची में वर्णित गैर सरकारी **उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अतिरिक्त संकाय/विषय प्रारंभ करने हेतु सत्र 2014–15 के लिए** निम्नांकित विद्यालयों को निम्नलिखित शर्तो के तहत् निर्देशानुसार स्वीकृति जारी की जाती है।

1. राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम–1989 एवं नियम 1993 की पालना करनी होगी। संस्था की पुनः निरीक्षण के दौरान नियमों की पालना नहीं पाई जाती हैं तो निम्न हस्ताक्षरकर्ता द्वारा मान्यता निरस्त की दी जावेगी।
2. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर के मान्यता (सम्बद्वतां) सम्बन्धित विनियमों की पालना करनी होगी एवं बोर्ड को मान्यता आवेदन पत्र (प्रपत्र–ख) मय शुल्क के उपलब्ध करवाना होगा।
3. विद्यालय द्वारा भविष्य में कभी भी राज्य सरकार से अनुदान की मांग नहीं की जायेगी।
4. विद्यालय का नाम/भवन/वर्ग/माध्यम परिवर्तन के पूर्व विभागीय स्वीकृति प्राप्त करनी होगी।
5. राज्य सरकार/विभाग द्वारा समय–समय पर प्रसारित आदेशों/नियमों/निर्देशों की पालना करनी होगी एवं वांछित सूचनाऐं/अभिलेख उपलब्ध करवाने होगें।
6. कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा के मामले में राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम 2011 की पालना करना अनिवार्य है अन्यथा राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम 1989 व नियम 1993 के अधीन दी गई मान्यता समाप्त की जा सकेगी।

क0सं0	नाम विद्यालय	माध्यम	संकाय/विषय	स्वीकृत विषय
01	**इंजीनियर्स पॉइण्ट उमावि खैरथल,अलवर**	हिन्दी	कला संकाय	हिन्दी साहित्य,अंग्रेजी साहित्य,संस्कृत साहित्य
			वाणिज्य अति0विषय	अर्थशास्त्र

जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक प्रथम अलवर

कमांक–जिशिअ/माप्र/अल/लेखा–1/फा0मान्यता/2014–15/352 दिनांक– 02-09-2014

प्रतिलिपि– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु–

1. श्रीमान् उपशासन सचिव, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा (ग्रुप–5) विभाग राजस्थान सरकार,जयपुर
2. श्रीमान् निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर।
3. श्रीमान् सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर
4. श्रीमान् शिक्षा उपनिदेशक,माध्यमिक शिक्षा,जयपुर संभाग जयपुर
5. (चिन्हित) संस्था इंजीनियर्स पॉइण्ट उमावि, खैरथल (अलवर)
6. सम्बन्धित संस्था पत्रावली/कार्यालय नोटिस बोर्ड
7. रक्षित पत्रावली

जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक प्रथम अलवर

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड,राजस्थान,अजमेर

क्रमांक : मा.शि.बो. / सम्बद्धता / 39411 — दिनांक 3/11/15

कार्यालय–आदेश

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर के आदेश क्रमांक : पं08 (55) शिक्षा–5 / 04 जयपुर दिनांक 21.09.2005 एवं 23.05.2007 के अनुसरण में शिविरा–माध्य / मा / अ–3 / भनावमा / मूल / 2014 दिनांक 10.06.2014 के आदेशानुसार क्रम सं. 73 पर अंकित **इंजिनियर्स पोईन्ट उच्च माध्यमिक विद्यालय, खैरथल**, **अलवर** को वर्तमान परिसर के अलग कक्षा कक्षों में **हिन्दी** माध्यम के साथ–साथ उच्च माध्यमिक स्तर पर (कक्षा 6 से 12 तक) अंग्रेजी माध्यम से भी अध्ययन कराने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

अतः उक्त आदेश के अनुसार विद्यालय को **हिन्दी माध्यम के साथ–साथ उच्च माध्यमिक स्तर पर (कक्षा 6 से 12 तक) अंग्रेजी माध्यम** से भी अध्ययन कराने की स्वीकृति बोर्ड रेकार्ड में दर्ज करने के आदेश दिये जाते है।

sd/-

सचिव

प्रतिलिपि :– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर, राजस्थान 334001
2. मुख्य परीक्षा नियत्रंक, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर।
3. उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, जयपुर– 302001
4. उप निदेशक, (परीक्षा) माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर।
5. उप निदेशक, (गोपनीय) माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर।
6. उप निदेशक,**(सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार प्रकोष्ठ (आई.टी.एण्ड.सी.सैल)** माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर।
7. सहायक निदेशक, (परीक्षा) माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर।
8. जिला शिक्षा अधिकारी, (माध्यमिक) अलवर – 301001
9. अनुभाग अधिकारी, (परीक्षा सेल–2) माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर।
10. प्रधानाचार्य **(H-1021094) इंजिनियर्स पोईन्ट उच्च माध्यमिक विद्यालय, खैरथल**, **अलवर 301404**
11. रक्षित पत्रावली।

प्रभारी अधिकारी (सम्बद्धता)
एवं विशेषाधिकारी(परीक्षा)